

# Bihar Administrative Service Association

**Shashank Shekhar Sinha**  
President  
Mob. No.- 9334118192



**Sunil Kumar Tiwary**  
General Secretary  
Mob. No.- 9431085120

Memo No. ....44.....

Date ...27.08.2023

**Vice President**  
Ajay Kumar  
9835737317

**Subodh Kumar**  
7979919465

**Joint Secretary**  
Chandrashekhar Azad  
8987044905

**Vikash Kumar**  
7717770977

**Treasurer**  
Shashi Shekhar  
9334557086

सेवा में,

मुख्य सचिव,  
बिहार, पटना ।

विषय:- प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति तथा अंचल स्तरीय राजस्व एवं विधि व्यवस्था समन्वय समिति में जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि वरीय उप-समाहर्ता की भूमिका स्पष्ट किए जाने के संबंध में ।

प्रसंग:- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का संकल्प संख्या-ज्ञापांक-4गठन-012023 मं०सं०-228 पटना-15, दिनांक-25.08.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सादर कहना है कि बिहार राज्य में प्रखंड एवं अंचल स्तर पर संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन / राजस्व संग्रहण / विधि व्यवस्था हेतु विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय हेतु प्रखंड / अंचल स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है ।

संकल्प की कंडिका-2 के क्रमांक-19 एवं कंडिका-7 के क्रमांक-7 पर जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि वरीय उप-समाहर्ता को समिति के सदस्य के रूप में जबकि दोनों कंडिकाओं में क्रमांक-1 पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में रखा गया है ।

उल्लेखनीय है कि वरीय उप-समाहर्ता का पदस्थापन अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप-समाहर्ता अथवा अपर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में तथा जिलों में वरीय उप-समाहर्ता, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के रूप में रहता है । ये पदाधिकारी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवं मेंटर के रूप में पूर्व से सरकार के स्तर से नामित किए गए हैं । साथ ही पदानुक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी से वरीय पदाधिकारी हैं ।

(2)


इनको अपने कनीय पदाधिकारी के सदस्य के रूप में उक्त समिति में नामित किया जाना प्रशासनिक पदीय अनुक्रम के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। साथ ही जिला स्तर पर वरीय उप-समाहर्ता के साथ अन्य सेवाओं के पदाधिकारी भी प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी होते हैं वह भी वरीय होते हैं।


ऐसे में वरीय उप समाहर्ता को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाना सम्यक नहीं है। सरकार यदि उक्त बैठक में जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि को बेहतर मार्गदर्शन एवं समन्वय हेतु रखना चाहती है तो 'विशेष आमंत्रित सदस्य' या 'प्रेक्षक' के रूप में वरीय उप समाहर्ता को नामित कर सकती है, जिससे बैठक की गंभीरता बनी रहेगी तथा साथ ही जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा बैठक का बेहतर मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण किया जा सकेगा।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि तदनु रूप उक्त पत्र में यथोचित संशोधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
(सुनील कुमार तिवारी)  
महासचिव

  
(शशांक शेखर सिन्हा)  
अध्यक्ष